रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 675] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 26, 2016/आश्विन 4, 1938
No. 675] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 26, 2016/ASVINA 4, 1938

IndiaCode

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 913 (अ).—केंद्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 8 की उपधारा (8) के साथ पठित धारा 73 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (x) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन शोधन निवारण (अधिहृत संपत्ति का प्रत्याहरण) नियम, 2016 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) ''अधिनियम'' से धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) अभिप्रेत है ;

(ख) "दावाकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने सद्भावपूर्वक कार्य किया है और जिसे सभी युक्तियुक्त पूर्वावधानियां रखने के बावजूद धन शोधन के अपराध के परिणाम स्वरूप परिमाणात्मक हानि हुई है और वह धन शोधन के अपराध में अंतर्वलित नहीं है ;

(ग) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद, जो परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का क्रमश: वही अर्थ होगा, जो उनका अधिनियम में है ।

3. अधिहृत संपत्ति के प्रत्याहरण की रीति—(1) विशेष न्यायालय संपत्ति के संबंध में अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (5) के अधीन अधिहरण का आदेश पारित करने के पैंतालीस दिन के भीतर दो दैनिक समाचार पत्रों, एक अंग्रेजी भाषा और दूसरा उस स्थान पर, जहां संपत्ति अवस्थित है, में पर्याप्त परिचालन रखने वाली जनभाषा में एक सूचना का प्रकाशन करवाएगा, जिसमें दावाकर्ताओं से, जिनका ऐसी संपत्ति या उसके किसी भाग में विधिमान्य हित है, में उनका दावा, यदि कोई हो, को ऐसी संपत्ति या उसके किसी भाग का प्रत्याहरण अभिप्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करने और सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा ।

(2) जब अधिहृत संपत्ति दावाकर्ताओं को धन शोधन के अपराध के परिणामस्वरूप हुई हानि को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो विशेष न्यायालय, जैसा वह उचित समझे, प्रत्येक दावाकर्ता को हुई हानि के अंश के अनुसार आनुपातिक आधार पर संपत्ति के प्रत्याहरण के लिए आदेश पारित कर सकेगा ।

(3) कोई दावाकर्ता विशेष न्यायालय के समक्ष अधिहृत संपत्ति के प्रत्याहरण के लिए उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के पश्चात् दावा करने का हकदार नहीं होगा :

परंतु विशेष न्यायालय यह समाधान हो जाने पर कि दावाकर्ता को पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था, किसी दावे को ग्रहण कर सकेगा किन्तु तीस दिन की और अवधि के पश्चात् नहीं ।

4. निर्वचन- यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो मामले को केंद्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

[अधिसूचना सं. 4/2016/पी.12011/5/2015-एस.ओ.(ई.एस. प्रकोष्ठ)]

बिप्लब कुमार नस्कर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2016

G.S.R. 913 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (x) of sub-section (2) of section 73, read with sub-section (8) of section 8 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.–(1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Restoration of Confiscated Property) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.– In these rules, unless the context otherwise requires,–

(a) "Act" means the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003);

(b) "claimant" means a person who has acted in good faith and has suffered a quantifiable loss as a result of the offence of Money- laundering despite having taken all reasonable precautions, and is not involved in the offence of money-laundering;

(c) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them the Act.

3. Manner for restoration of confiscated property.–(1) The Special Court, within forty-five days from the date of passing the order of confiscation under sub-section (5) section 8 of the Act in respect of property, shall cause to be published a notice in two daily newspapers, one in English language and one in vernacular language, having sufficient circulation in the locality where the property is situated calling upon the claimants, who claim to have a legitimate interest in such property or part thereof, to submit and establish their claims, if any, for obtaining restoration of such property or part thereof.

(2) When the confiscated property is insufficient to meet the loss suffered by the claimants as a result of the offence of money-laundering, the Special Court, as it thinks fit, may pass an order of restoration of property on a pro-rata basis in accordance with the share of loss suffered by each claimant.

(3) No claimant shall be entitled to claim restoration of confiscated property before the Special Court beyond thirty days from the date of publication of the notice referred to in sub-rule (1):

Provided that the Special Court may entertain any claim not exceeding further thirty days, upon the satisfaction that the claimant was prevented by sufficient cause.

4. Interpretation.– If any question arises relating to the interpretation of these rules, the matter shall be referred to the Central Government.

[Notification No. 4/2016/P.12011/5/2015-S.O.(E.S. Cell)]

BIPLAB KUMAR NASKAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.09.28 10:41:48 +05'30'